राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) झुन्झुनूं

क्रमांक :– रसद / प्राधिकार / 2026 / 2742 दिनांक : – 22/09/2026

–: विज्ञप्ति :–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा.वि./ विधि / 08 / दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ 17 (5)खावि/ न्याय/ महि. आर / 2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त व नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार –पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। **आवेदन पत्र विज्ञप्ति जारी दिनांक** से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं (कलेक्ट्रेट परिसर) से कार्यालय समय में (राजकीय अवकाश को छोडकर)(रूपये 100/–) का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद कार्यालय झुन्झुनूं के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है एवं जिला रसद कार्यालय झुन्झुनूं में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **22.10.2026 समय सायं 5 बजे** तक जमा कराये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य दुकानो का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम तहसील	वितरण केन्द्र	ग्राम पंचायत	आरक्षण की श्रेणी
1	मलसीसर	जवाहरपुरा	जाबासर	अनारक्षित
2	बुहाना	नानवास	कुहाडवास	महिला आरक्षित
3	बुहाना	पचेरी कलां वार्ड 6 से 10	पचेरी कलां	महिला आरक्षित
4	बुहाना	पचेरी कलां वार्ड 11 से 15	पचेरी कलां	अनारक्षित
5	बुहाना	भूरीवास	काजला	महिला आरक्षित
6	बुहाना	मोई भारू	मोई भारू	महिला आरक्षित
7	बुहाना	बडबर	बडबर	अनारक्षित
8	खेतडी	बडाऊ	बडाऊ	अनारक्षित
9	खेतडी	खरखंडा	खरखडा	महिला आरक्षित
10	खेतडी	गुणीनीचा	माधोगढ	अनारक्षित
11	खेतडी	कालोटा	कालोटा	अनारक्षित
12	चिडावा	मटाना	केहरपुरा कलां	अनारक्षित
13	चिडावा	अलीपुर	अलीपुर	अनारक्षित
14	चिडावा	नूनिया गोठडा	नूनिया गोठडा	अनारक्षित
15	चिडावा	श्योपुरा बास	श्योपुरा बास	अनारक्षित
16	उदयपुरवाटी	छावसरी	छावसरी	अनारक्षित
17	उदयपुरवाटी	मुण्डो की ढाणी	बजावा रावतका	अनारक्षित
18	नवलगढ	बडवासी 1/2	बडवासी	महिला आरक्षित
19	नवलगढ	निवाई	निवाई	अनारक्षित
20	मण्डावा	दिलोई	दिलोई	अनारक्षित
21	मण्डावा	शेखसर	शेखसर	महिला आरक्षित
22	झुन्झुनूं	दोरासर	दोरासर	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 और समय समय पर जारी अन्य निर्देशो एवं पत्रांक एफ.17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

"क्र.सं. 1 से 4 तक की उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की कार्यवाही 'माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन' रखते हुए की जा सकेगी तथा ऐसे प्रकरणों में आवंटन/प्राधिकार पत्र माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन ही जारी किया जा सकेगा। निर्णय उपरांत, माननीय न्यायालय के आदेश की अलग से पालना सुनिश्चित की जावेगी।"

उक्त सभी उचित मूल्य दुकानों के आंवटन के संबंध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा—निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय झुन्झुनूं में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त रिक्तयों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरनें/नही भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा। उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आंवटन/नियुक्ति विभिन्न न्यायालयों/अपीलीय न्यायालयों के निर्णयो के अध्यधीन होगा।

जिला कलक्टर (रसद)
झुन्झुनूं
दिनांक :- 22/09/2026

क्रमांक :— रसद/प्राधिकार/2026/2742
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. माननीय सांसद महोदय, जिला झुन्झुनूं।
2. माननीय विधायक महोदय समस्त, जिला झुन्झुनूं।
3. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद झुन्झुनूं।
4. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर।
7. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. ए.सी.पी/प्रोग्रामर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने बाबत्।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी झुन्झुनूं।
10. प्रोग्रामर, डीओआईटी, जिला कलेक्ट्रेट झुन्झुनूं को कलेक्ट्रेट की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. उपखण्ड अधिकारी (मलसीसर, बुहाना, खेतडी, चिडावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ, मण्डावा, झुन्झुनूं) को विज्ञाप्ति सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत्।
12. संबंधित विकास अधिकारी को विज्ञाप्ति सूचना पंचायत समिति एवं संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने बाबत्।
13. संबंधित ग्राम पंचायत संरपच।
14. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (रसद)
झुन्झुनूं

Scanned with OKEN Scanner